न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः–3 / 14 दायरा दिनांकः– 10.10.2014

आर.सी.एम.एस. नम्बर –2014 / 00039

पीठासीन अधिकारी :– श्री हीरालाल वर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कालूलाल पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. श्योपाल पुत्र भूरा जाति कण्डारा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र देवलाल जाति कण्डारा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां।
4. प्रहलाद पुत्र फागूलाल जाति मीणा (मृतक) निवासी सकरवदा तहसील किशनगंज जिला बारां।
5. भंवरलाल पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां।
6. लालचन्द पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां।
7. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां।
8. हीरालाल पुत्र प्रहलाद जाति मीणा निवासी सकरावदा तहसील किशनगंज जिला बारां।

– अपीलान्टगण

बनाम

1. महावीर पुत्र हीरलाल जाति मेहर निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज जिला बारां
2. बलराम पुत्र हीरलाल जाति मेहर निवासी किशनगंज, तहसील किशनगंज जिला बारां।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित

श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक अपीलान्ट

श्री आई.एम. खान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

अपीलविरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार किशनगंज प्रकरण संख्या 14 / 14 निर्णय दिनांक 04.09.14 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 30/8/2019

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 04.09.2014 प्रकरण संख्या 14 / 14 उनवान कालूलाल बनाम मांगीलाल बगै. अन्तर्गत धारा 183 (बी) की अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया अपीलान्ट का रेस्पोडेन्ट की किसी भी भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया न कानून की मंशा को समझने की कोशिश की गई मनमाना व विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 04.09.2014 पारित किया गया है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम सकरावदा की आराजी खसरा नं. 383 / 188 रकबा 10 बीघा 10 बीस्वा आराजियात पर अपीलान्टगण का लम्बा अरर्सा से कब्जा काश्त चला आ रहा है कभी भी उक्त आराजियात पर रेस्पोडेन्ट का कभी भी काश्त नहीं रहा है रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्व में भी धारा 183 (बी) की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के यहां 25.04.2012 को प्रस्तुत की गई जिसमें प्रहलाद, बद्रीलाल, गोरधन नाथ, कालूलाल जिसको उक्त प्रकरण में जाति मीणा बताई गई है तथा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जाति कण्डारा बताई गई है तथा लक्ष्मीनारायण कण्डारा रामचन्द्र कण्डारा छोटूलाल माली के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी जो सुनवाई के बाद निरस्त कर दी गई किन्तु उसकी कोई अपील रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर 2014 में

रेस्पोडेण्टगण द्वारा उक्त कार्यवाही केवल 4 व्यक्तियों जिसमें कालूलाल को मीणा बताया गया है जबकि कालूलाल जाति के कण्डारा है तथा प्रलाद को जिवित बताया गया है जबकि प्रहलाद का दिनांक 07.08.2013 को ही देहान्त हो चुका है इस प्रकार मृतक व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जबकि विधि के प्रतिपादित सिन्द्वातों के अनुसार मृतक व्यक्ति के कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टिया ही विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2014 काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम सकरावदा की आरजियात के लगवां अपीलान्ट कालूलाल की खातेदारी की भूमि है तथा इस कारण ही रेस्पोडेण्टगण के पूर्वजों ने करीब जायज अर्सा 53–54 वर्ष पूर्व सम्वत् 2017 में भूमि नकारा होने के कारण जिसमें पत्थर वगैरा थे करीब 4 बीघा भूमि की कीमत 400/7 लेकर अक्षयतृतीया सम्वत् 2017 को अप्रार्थी कालूलाल के पूर्वजों को बेचान कर दी थी तथी से 4 बीघा आराजी पर पूर्व में अपीलान्ट कालूलाल के पूर्वजों का तथा उसके बाद में अपीलान्ट कालूलाल का निरन्तर कब्जा काश्त चला रहा है तथा इस करण ही पूर्व में महावीर , बलराम रेस्पोडेण्ट द्वारा 7 व्यक्तियों के विरूद्व धारा 183 (बी) की कार्यवाही दिनांक 25.04.2012 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें अपीलान्ट कालूलाल द्वारा विस्तृत रूप दिनांक 20.07.2012 को जबाब प्रस्तुत किया गया उसमें कालूलाल की जाति कण्डारा बताई गई है जबकि दूसरा बाद में तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आधार पर मिसल नं. 14/14 में दिनों 04.09.2014 को निर्णय पारित किया गया है जबकि कालूलाल मीणा नाम का कोई व्यक्ति सकरावदा में नहीं है तथा दूसरा व्यक्ति प्रहलाद के विरूद्व कार्यवाही की गई जबकि प्रहलाद का दिनांक 07.08.2013 को ही देहान्त हो चुका है इस प्रकार मृतक व्यक्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकती फिर भी अधीनस्थ न्यायालय विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित निर्णय दिनांक 04.09.2014 काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकार 14/14 निर्णय दिनांक 04.09.2014 का धारा 183(बी) का निर्णय पारित किया उसकी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया है कि महावीर व बलराम के आवेदन पर कार्यवाही प्रारम्भ कर नोटिस जारी किये। पत्रावली पटवारी की रिपोर्ट भी है मौका रिपोर्ट पत्रावली में सम्मलित है। उक्त पत्रावली में जबाब प्रस्तुत कर रखा है, इससे पूर्व में भी 2012 में 30.04.2012 को भी न्यायालय तहसीलदार में अप्रार्थी प्रहलाद पुत्र प्रभूलाल मीना बगैरहा 7 व्यक्तियों के विरूद्ध अतिक्रमी मानते हुये 183(बी) का प्रकरण पेश किया था। नोटिस आया था जबाब 20.07.2012 को दिया था। तत्कालीन तहसीलदार के समय यह कार्यवाही चली फिर इन्होंने नये सिरे से 2014 में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। स्थिति है कि जो प्रथम प्रार्थना पत्र 2012 में पेश किया उसके प्रहलाद पुत्र प्रभूलाल मीना लिखाया, 2014 में प्रस्तुत किया उसे प्रहलाद पुत्र फागूलाल लिखाया पहले अप्रार्थी क्रम 4 कालूलाल पुत्र मांगीलाल मीना लिखा है। अपील में हमने मृतक प्रहलाद पुत्र फागू के कायम मुकायामान की और से पेश की है। पटवारी की रिपोर्ट में किस–किस का कितना कब्जा है अंकित नहीं है। प्रहलाद पुत्र फागूलाल 2013 में फौत हो चुका था दिनांक 07.08.2013 को मुत्यु हो चुकी थी फैसला 04.03.2014 को

किया इस प्रकार मरे हुय के खिलाफ फैसला हुआ है। कार्यवाही उचित नहीं है विधी विरूद्ध है खातेदार महावीर व बलराम शहर के रहने वाले हैं। महावीर बलराम पुत्र हीरालाल है। हीरालाल तहसील के कर्मचारी थे। इन्होने अलोट कराई थी। कभ्जी भी इनका या इनके पिता का कब्जा नहीं रहा। ये पैसे हडपने के चक्कर में इस तरह की कार्यवाही करते रहते हैं। अतः उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है अपील स्वीकार फरमावें।

रेस्पोडेण्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि 183 (बी) समरी ट्राईल है तहसीलदार किशनगंज ने पटवारी से रिपोर्ट लेकर ही निर्णय किया है। जिन व्यक्तियों को पार्टी बनाया है उसके राधा बल्लभव नागर वकील व बकालातनाम पेश किया है। हल्का पटवारी ने जो रिपोर्ट दी उसी अनुसार पक्षकार बनाये है। तहसीलदार ने समरी ट्राईल करके निर्णय पारित किया है जो उचित है। कथन कि रेस्पोडेण्ट के पिता कर्मचारी थे उसको आवंटन हुई थी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है पैमाईश रिपोर्ट पत्रावली में है मैं उसी समय भी खातेदार था आज भी खातेदार हूँ। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पर अतिक्रमियों के विरूद्ध निर्णय पारित किया। अपीलान्ट अतिक्रमी है। निर्णय उचित है। कथन कि एक पक्षकर की मृत्यु हो गई थी तो इनको कायम मुकायमान की सूचना देना चाहिए था। रेस्पोडेण्ट का पिता कर्मचारी था तो दस्तावेज पेश करना चाहिए था। हम एस.सी. के व्यक्ति है। यह जबरन कब्जा कर रहें हैं। अतः अपील खारिज कर कब्जा दिलावें।

अपीलान्ट के पुनः कथन किया कि अपील हतने मृतक प्रहलाद पुत्र फागू के कामय मुकाम की और से पेश की है। पटवारी रिपोर्ट में किस–किस का कितना कब्जा है। अंकित नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनने के पश्चात् पाया गया कि रेस्पोडेण्टगण खातेदार है तहसीलदार द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित होना माना है। यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अमिक्रमण नहीं था तो अपील का क्या औचित्य है। अपीलान्ट का कथन कि प्रार्थना पत्र 183(बी) में अप्रार्थी का नाम वल्दियत यादि भिन्न लिखे गये। मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। पटवारी द्वारा भी रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं लिखा कि किस–किस भूमि पर कितना–कितना किस–किस का अतिक्रमण है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में तकनीकी त्रुटि होने से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय 04.05.2014 निरस्त किया जात है एवं प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि की मौके पर पैमाईश कराई जाकर जांच करावे कि कितनी–कितनी भूमि पर किस–किस का अतिक्रमण है जांच उपरान्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे जाकर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(हीरालाल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Verma
Date: 2019.09.05 15:31:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: